न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 04/2019

बउनवान

1. सत्यनारायण
2. कौशल्याबाई
3. रतनबाई
4. हंसाबाई
5. हेमलता पिसरान प्रभूलाल जातियान ब्राह्मण निवासी बटावदा तह. बारां जिला बारां
6. विद्याबाई पत्नी प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बटावदा तहसील बारां जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

1. नरोत्तम दत्तक पुत्र लक्ष्मीचंद जाति ब्राह्मण निवासी बटावदा तह. बारां जिला बारां
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां, राज0

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 733 दिनांक 05.06.2014 वाके ग्राम बटावदा
अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सत्येन्द्र शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांटगण)**
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक **(रेस्पोडेंट)**
3. सरकार सरकार

निर्णय दिनांक– 02.09.2021

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बटावदा तहसील बारां में आराजी खाता सं0 नयी 318 पुरानी 162 में आराजी खसरा नं0 284 रकबा 0.23 है., खसरा नं0 622 रकबा 0.25 है., खसरा नं0 789 रकबा 0.23 है., खसरा नं0 1174/824 रकबा 5.00 है. कुल चार किता रकबा 5.71 है. राजस्व रिकार्ड में अपीलांटगण व रेस्पो0 कम 1 के शामलाती खाते में हिस्सा बराबर दर्ज है। अपीलांटगण व रेस्पो0 कम 1 के परिवार का शजरा निम्न प्रकार है:–

लक्खा जी (मृतक)

प्रभूलाल	लक्ष्मीचंद
सत्यनारायण पुत्र	नरोत्तम (दत्तक पुत्र)
कौशलयाबाई पुत्री	
रतनाबाई पुत्री	
हंसाबाई पुत्री	
हेमलता पुत्री	
विद्याबाई पत्नी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:05:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अपीलांट के दादाजी लक्खाजी के खाते में कुल 11.41 है. आराजी दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद दोनो पुत्रों प्रभूलाल व लक्ष्मीचंद के खाते में 1/2–1/2 दर्ज हो गई। लक्ष्मीचंद के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उन्होने अपने जीवनकाल में रेस्पो0 कम 1 को गोद ले लिया था तथा लक्ष्मीचंद की मृत्यु होने पर रेस्पो0 कम 1 ने ही दत्तक पुत्र की हैसियत से उसके अंतिम संस्कार के सारे किया कर्म सम्पन्न किये थे। दत्तक पुत्र होने से लक्ष्मीचंद के खाते की आराजी रेस्पो0 कम 1 के खाते दर्ज हो गई तथा लक्ष्मीचंद के हिस्से की आराजी को रेस्पो0 कम 1 काश्त करता चला आ रहा है वर्तमान में खाता संख्या 132 खसरा नं0 824 रकबा 5.70 है. रेस्पो0 कम 1 नरोत्तम मुतबन्ना लक्ष्मीचंद के खाते दर्ज है। अपीलांटगण के पिता प्रभूलाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का इंतकाल अपीलांट व रेस्पो0 कम 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि रेस्पो0 कम 1 लक्ष्मीचंद का दत्तक पुत्र होने से उक्त आराजीयात में कोई हिस्सा लेने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इन्तकाल सं0 733 दिनांक 05.06.2014 को निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो0 कम 1 का नाम खाते से डिलीट किया जाकर अपीलांटगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।

3– रेस्पो0 कम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब अपील इस आशय का पेश हुआ कि प्रभूलाल पुत्र लक्खाजी की मृत्यु के बाद इन्तकाल नं. 733 दिनांक 05.06.2014 तस्दीक फरमाया गया था। मैं रेस्पो0 मेरे ताउजी श्री लक्ष्मीचंद जी के गोद चला गया था तथा उनके हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा हूं प्रभूलाल की आराजीयात पर मेरा कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः निवेदन है कि इन्तकाल नं. 733 दिनांक 05.06.2014 निरस्त किया जाकर उक्त खाते में मेरा नाम डिलीट किये जाने का आदेश फरमावे।

4– अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

5– सर्वप्रथम हमने मियाद के बिन्दु पर वकील अपीलांट को सुना। न्यायहित में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराज्ी खाता सं0 नयी 318 पुरानी 162 में आराजी खसरा नं0 284 रकबा 0.23 है., खसरा नं0 622 रकबा 0.25 [illegible] 0.23 है., खसरा नं0 1174/824 रकबा 5.00 है. कुल चार कि[illegible] रकबा 5.71 [illegible] रिकार्ड में अपीलांटगण व रेस्पो0 कम 1 के शामलाती खाते में [illegible] पारिवारिक शजरा रेस्पो0 कम 1 मृतक लक्ष्मीचंद जी के यहां [illegible] तथा लक्ष्मीचंदजी की मृत्यु होने पर उनके खाते की पैतृक आराजी खाता संख्या 13[illegible] खसरा नं0 824 रकबा 5.70 है. ग्राम बटावदा वर्तमान राजस्वा रेकार्ड में रेस्पो0 कम 1 के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है जिस पर रेस्पो0 कम 1 काबिज काश्त है। गोद जाने के बाद रेस्पो0 कम 1 का अपने प्राकृतिक पिता प्रभूलाल की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। राजस्व कर्मियों ने ग्राम बटावदा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:05:07 IST
Reason: SelfAttested

इंतकाल नंबर 733 दिनांक 05.06.2014 तस्दीक करते समय भारी भूल की है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल सं0 733 दिनांक 05.06.2014 ग्राम बटावदा निरस्त किया जाकर, ग्राम बटावदा के खाता संख्या नयी 318 पुरानी 162 में आराजी खसरा नं0 284 रकबा 0.23 है., खसरा नं0 622 रकबा 0.25 है., खसरा नं0 789 रकबा 0.23 है., खसरा नं0 1174/824 रकबा 5.00 है. कुल चार किता रकबा 5.71 है.से रेस्पो0 क्रम 1 का नाम डिलीट किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 ने जवाब अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रभूलाल पुत्र लक्खाजी की मृत्यु के बाद इन्तकाल नं. 733 दिनांक 05.06.2014 तस्दीक फरमाया गया था। मैं रेस्पो0 मेरे ताउजी श्री लक्ष्मीचंद जी के गोद चला गया था तथा उनके हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा हूं प्रभूलाल की आराजीयात पर मेरा कोई हक व हिस्सा नहीं है।

7— दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि नामां0 संख्या 733 ग्राम बटावदा ग्राम वासियान से पूछताछ पश्चात बाद जांच खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

8— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष व पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रभूलाल की मृत्यु के बाद इंतकाल नं0 733 के दौरान उक्त आराजी का इंतकाल अपीलांट व रेस्पो0 क्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि रेस्पो0 क्रम 1 लक्ष्मीचंद का दत्तक पुत्र होने से उक्त आराजीयात में कोई हिस्सा लेने का अधिकारी नहीं है। रेस्पो0 क्रम 1 ने इसी आशय का इकबालिया जवाब अपील जर्ये अभिभाषक पेश किया है जो पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक प्रभूलाल के फौती इन्तकाल में उसकी आराजीयात पर रेस्पो0 क्रम 1 का नाम गलत दर्ज किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 733 दिनांक 05.06.2014 वाके ग्राम बटावदा तहसील—बारां निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक प्रभूलाल के विधिक वारिसान के पक्ष में विस्तृत जॉच कर, पुनः नये सिरे से इन्तकाल दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.20[illegible] सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:05:07 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज॰)